आइंदा [illegible] 9.9.19 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

9.9.19 पत्रावली [illegible] पेश कार्यवाही दिनांक 11.9.19 को पेश।

रीडर

11.9.19 — वकील पक्षकारान उप0। आज प्रकरण [illegible] निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा के पालना किया जाना है। निर्णय आदेश के पालना जारी कर दिया गया। पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर [illegible] हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाब्ता अभिलेख दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

M.L. [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 47/2017

जीवराजसिंह पुत्र सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलरिया उप तहसील मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनू
—आवेदक

बनाम

1. उम्मेदसिंह
2. चतरसिंह
3. मूलसिंह
4. साईसिंह
5. शायरसिंह पुत्रान सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बलरिया उप तहसील मुकुन्दगढ
6. उप—पंजियक मुकुन्दगढ

—अनावेदकगण

आवेदन अं.आदेश 39 नियम 1 व 2
सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री तरूण कुमार मिन्तर
ऐडवोकेट अनावेदकगण 1 :— श्री आनन्दी लाल सैनी
ऐडवोकेट अनावेदक नं. 2 लगायत 5:— श्री रामाकान्त गौड

आदेश

दिनांक 11.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 5 के इक अधिकारी स्वामीत्व कब्जाशुदा पैत्रिक भूमि ग्राम बलरिया में अवस्थित है जिसके ख.न. 491/1.05, 492/0.39, 493/0.37, 688/0.94, 754/491/2.59, 777/538/0.11 किता 6 कुल रकबा 5.45 है0 अवस्थित है। आवेदक एवं अनावेदक नं. 1 लगायत 5 अपनी उकत कृषि भूमि पर आपसी बाहमी बंटवार कर नींव सींव कायम कर अपने अपने हिससे पर कृषि कार्य कर रहे हैं जिसमें आवेदक भी अपने 1/6 हिससे पर काबिज है कृषि कार्य करता है। आवेदक एवं अनावेदक नं. 1 लगायत 5 का सजरा में सम्पतसिंह के 6 वारिस पुत्र उम्मेदसिह चतरसिह मूलसिंह सवाईसिंह जीवराजसिंह सायरसिंह हैं। विवादित जमीन में सभी का 1/6, 1/6 हिस्सा है। पूर्व में आवेदक एवं अनावेदक नं. 1 लगायत 5 अपनी उक्त वर्णित खसरा भूमि पर महज एक फसल ही बो कर जीवन यापन करते थे जो भी पूरी तरह से बारिस पर निभार करती थी जिस कारण आर्थिक रूप से आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 को बडी परेशानी का सामना करना पडता था। जिस पर आज से लगभग 7—8 वर्ष पूर्व आवेदक एवं अनावेदक नं. 1 लगायत 5 ने मिलकर यह विचार किया कि क्यों न अपने शामलाती खसरा भूमि में एंक ट्यूबवेल का निर्माण किया जावे जिससे फसल की बारिस पर निर्भरता खत्म हो और वर्ष में कई फसलों का उत्पादन कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इस विचार को अमली जामा पहनाया जाकर अपनी भूमि में एक ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जिस पर हुआ खर्चा आवेदक एवं अनावेदक नं. 1 लगायत 5 के द्वारा शामलाती रूप से वहन किया गया और तय किया गया कि उक्त ट्यूबवेल सभी भाईयों का हक हिस्सा रहेगा प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होगा। उक्त ट्यूबवेल में विद्युत कनेक्शन परिवार के बडे भ्राता उम्मेदसिंह के नाम से लिया क्योंकि 6 लोगों के नाम से कनेक्शन जारी नही हो सकता। विद्युत बिल का भुगतान आवेदक एवं अनावेदक नं. 1 लगायत 5 के द्वारा मिल कर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

19.8.19

Scanned by CamScanner

किया जाता था जिसमें प्रत्येक बिल का 1/6 हिस्सा उम्मेदसिंह को अदा कर देता है जिसे इकठ्ठा कर एवं अपना 1/6 हिस्सा मिलाकर उम्मेदसिंह विद्युत विभाग में जमा करवा देता है।

पूर्व में उक्त खाते में ख.न. 355 भी शामिल था जो विगत 4 वर्ष से जरिये राजीनामा आवेदक एवं अनावेदक नं. 1 लगायत 5 के परिवार के भाईयों के हिस्से मं आ गया। आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 5 अपने अपने हिस्से पर लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं एक का अन्य के हिस्से पर कोई हस्तक्षेप नही है अर्थात प्रत्येक अपने अपने हिस्से का बौता खता है और अपने परिवार का जीवन यापन करता है।

अनावेदक नं. 1 व उसके पुत्र मिलकर अकेले आवेदक जो एक सीधा सादा इन्सान है को परेशान करते रहते हैं अनावेदक नं. 1 उसके पुत्र संख्या में अधिक हैं जबकि आवेदक अकेला है उसका फायदा उठाकर अनावेदकगण आवेदक को परेशान करते हैं। आवेदक को वाद कारण दिनांक 28.04.2017 को उत्पन्न हुआ जब अनावेदकगण ने आवेदक के हिस्से में आई भूमि जबरन खाली करवाने की कोशिश की जो लगातार जारी है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है। क्योंकि वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि का सह खातेदार है एवं कानूनन बंटवारा करवाने का अधिकारी है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो इससेक अनावेदकगण को कोई असुविधा नही होगी किन्तु उक्त के अभाव में प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि तादौराने वाद ग्राम बलरिया में स्थित भूमि ख.न. 491/1.05, 492/0.39, 493/0.37, 688/0.94, 754/491/2.59, 777/538/0.11 किता 6 कुल रकबा 5.45 है0 को विक्रय रहन गिफ्ट अथवा अन्य किसी भी रूप मं हस्तान्तरित करने से बाज रहे एवं प्रार्थी को उसके हिस्से की 1/6 भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न न करे और न ही उक्त खसरा की भूमि में अवस्थित शामलाती ट्यूबवेल के अपने 1/6 हिस्से के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न न करे तादौराने वाद उक्त भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदक नं. 6 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नं. 2 लगायत 5 की और से इकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अनावेदक नं. 1 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि आवेदक का कृषि भूमि में कोई हिस्सा नही रहा है इस कारण 1/6 हिस्से पर काबिज होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है बल्कि प्रश्नगत भूमि में 3/7 हिस्से पर अनावेदक नं. 2 लगायत 5 काबिज व आबाद है इस प्रकार से कृषि कार्य करते हैं और उपयोग उपभोग करते हैं। प्रश्नगत भूमि का उतरदाता के पिता सम्पतसिंह के जीवनकाल में दिनांक 18.02.1966 को कुल छः हिस्से किये जाकर बंटवारा किया था और पांच हिस्से आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 से 4 का था उक्त बंटवारे की लिखावट दिनांक 18.02.1966 में सभी ने यह तैय किया था कि सम्पतसिंह का हिस्सा उतरदाता के हक में रहेगा परन्तु उक्त बंटवारा हो जाने के बाद में अनावेदक नं. 5 पैदा हो जाने से प्रश्नगत कृषि भूमि में कुल छः हिस्सों के बजाय सात हिस्से किये गये है जिनके अनुसार सम्पतसिंह एवं आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 से 5 अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करने लग गये थे किसी प्रकार का कोई विवाद नही था यानि सभी का बराबर बराबर 1/7, 1/7 हिस्सा कायम कायम व तैय कर दिया था लेकिन उतरदाता का पिता सम्पतसिंह काफी वृद्ध हो गया था ओर अक्सर बीमार रहने लग गया था जिसको उतरदाता ही खाना खिलाता था और दवाईयां दिलवाकर इलाज भी करवाता था तब उतरदाता के पिता ने अपने हिस्से 1/7 की प्रश्नगत भूमि उनकी सेवा से खुश होकर उपहार स्वरूप दे दी थी तथा 22 जुलाई 1980 को उतरदाता के पिता का स्वर्गवास हो गया था इस प्रकार उक्त कृषि भूमि में से 18 बीघा कच्ची भूमि काश्त करने लग गया था और काबिज व आबाद हो गया था। जिसका उतरदाता को अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है तथा प्रतिवादी काउन्टर क्लेम पेश कर वर्णित किया गया कि कुल रकबा 5.45 है0 जो उतरदाता के पिता स्व0 सम्पतसिंह की खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रश्नगत भूमि है आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 से 5 स्व0 सम्पतसिंह के जायन्दा पुत्र हैं। उतरदाता के पिता ने अपने जीवनकाल में ही प्रश्नगत भूमि का बंटवारा करके कुल सात हिस्से कायम व तैय करके

उपखण्ड अधिकारी
बबलगढ़

Scanned by CamScanner

काबिज व आबाद हो गये थे जिसके मुताबिक उतरदाता के पिता सम्पतसिंह एवं उसके पुत्र आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 से 5 का बराबर बराबर 1/7, 1/7 हिस्सा व स्वामीत्व है। प्रश्नगत भूमि शामलाती खातेदारी व कब्ज काश्त की पैत्रिक भूमि है।

उतरदाता के पिता का स्वर्गवास होने पर उतरदाता ने अपने नाम से भूमि दर्ज करवाने बाबत दिनांक 15.07.1981 को भूप्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें उतरदाता के नाम प्रश्नगत भूमि दर्ज करने बाबत दिनांक 26.07.1982 के स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त तमाम कार्यवाही आदेश व बाहमी बंटवारे की लिखावट एवं मौका रिपोर्ट के मुताबिक उतरदाता के हिस्से में 18 बीघा जमीन आई तथा आवेदक ने आरएफसी से ऋण ले रखा था जिसके जिम्मे कुल 4.23.917/–रूपये असल एवं ब्याज सहित बकाया चल रहे थे, जिनकी अदायगी वादी द्वारा नही करने पर उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ अपने आदेश वसूली/207/1017–23 दिनांक 06.03.2017 को प्रश्नगत कृषि भूमि में आवेदक का हिस्सा कुर्क किया जाकर निलामी कार्यवाही करने के लिये दिनांक 17.03.2017 को तारीख तैय की जाकर तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया था तब आवेदक ने उतरदाता को कहा था कि मेंरे पास वसूली के चुकाने के लिये रूपये नही हैं और प्रश्नगत भूमि शामलाती खातेदारी में है इसलिये आप आवेदक की बकाया ऋण राशि जमा करवा दो और उसके एवज में मेंरा हिस्सा लेलो। इसप्रकार आवेदक की बात मानकर 4,66,300/–रूपये उतरदाता ने जमा करवा कर उक्त निलामी की कार्यवाही को रूकवाया है जिसकी अदायगी रसीदें उतरदाता के पास मौजूद हैं और आवेदक के हिस्से की कृषि भूमि पर उनकी सहमति से काबिज व आबाद हो गया था तथा आवेदक ने कहा व आश्वासन दिया कि विधिवत विभाजन करवाया जायेगा तब मैं आवेदक सहमति दे दूंगा और मेंरा नाम रिकार्ड से हटा लूंगा।

आवेदक उतरदाता को प्रश्नगत भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में परेशानी पैदा करता है और लडाई झगडा करता है तथा उतरदाता को बेदखल करने की धमकी देता है इस कारण आवेदक ने बेईमानी से उक्त वेग वाद पत्र पेश किया है जिसके सम्मन उतरदाता को दिनांक 16.05.2017 को मिले तब आवेदक की गलत हरकतों की जानकारी हुइ है इसिलये प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि आवेदक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा पैदा नही करे और ना ही कोई दस्तावेजात पंजिबद्ध करवाये। इस कारण प्रतिदावा अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्तर क्लेम पेश होने पर जबाब काउन्टर क्लेम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0प0 पेश कर वर्णित किया गया कि तथ्य मनगढंत झूठे व माननीय न्यायालय को करते हुये जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त हैं।

आवेदक द्वारा आरएफसी से ऋण लेना स्वीकार है किन्तु उसकी अदायगी बाबत 4,66000/– रूपये अनावेदक नं. 1 द्वारा जमा देना अस्वीकार है। आवेदक उस समय आवश्यक कार्यवश बाहर गया हुआ था जिस पर उक्त ऋण की वसूली कार्यवाही बाबत सूचना मिलते ही उसने तत्काल अपने पुत्रों से ऋण राशि इधर उधर से करके राशि चार लाख सतर हजार रूपये जिसमें अनावेदक नं. 1 का झुन्झुनू जाकर जमा देने मं खर्च लगने वाला किराया आदि भी शामिल था अनावेदक नं. 1 को दिनांक 15.03.17 को भिजवा दिया था।

आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 5 के द्वारा बराबर बराबर राशि खर्च कर विद्युत संबंध स्थापित किया गया जिसका उपयोग उपभोग आवेदक व अनावेदक नं. 1 लगायत 5 बराबर बराबर 1/6 प्रत्येक अपने हिस्से अनुसार करते हैं एवं उक्त के ही मासिक विद्युत बिल का भुगतान भी सभी पक्ष बराबर बराबर ही करते हैं जिस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अनावेदक नं. 1 को किसी प्रकार को कोई वादाधिकार उत्पन्न नही हुआ है वह महज आवेदक को हैरान व परेशान करने की नियत से मामले को अनावश्यक रूप से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अनावेदक नं. 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी.आई. का जबाब उपरोक्तानुसार प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अनावेदक नं. 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का काउन्टर टीआई खारीज कर आवेदक का आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

जबाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। वकील अनावेदकगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर टीआई तथ्यों को दोहराया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः— पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार नकल जमाबंदी ग्राम बलरिया संवत 2066 से 2069 के अनुसार भूमि ख.न. 491/1.05, 492/0.39, 493/0.37, 688/0.94, 754/491/2.59, 777/538/0.11 किता 6 कुल रकबा 5.45 है0 की खातेदारी उम्मेदसिंह चतरसिह मूलसिंह सवाईसिंह जीवराजसिंह शायरसिंह पि0 सम्पतसिंह मु0 भंवरकंवर बेवा सम्पतसिंह कौम राजपूत ब.हि.ब. सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड से आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 5 प्रश्नगत कृषि भूमि के बराबर बराबर 1/6, 1/6 हिस्से के खातेदार होना प्रमाणित है। प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि को विक्रय , रहन, गिफ्ट आदि नही करने तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की 1/6 हिस्से की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है जबकि अप्रार्थी नं. 1 ने काउंटर टी.आई. प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि 3/7 हि0 की भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा व अवरोध पैदा नही करने की काउन्टर टी.आई. चाही है। उक्त सभी बिन्दु वादपत्र में तनकीयात विरचित होकर उभय पक्ष की साक्ष्य व बहस से तय होना है। उभय पक्ष सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला दोनो ही के पक्ष में हैं।
2. सुविधा का संतुलनः— प्रश्नगत भूमि प्रथम दृष्टया तथा भूमि पैत्रिक होने एवं दोनो पक्ष सह खातेदार होने से सुविधा का संतुलन दोनो के पक्ष में है।
3. अपूर्णीय क्षतिः— प्रश्नगत भूमि का दोनो पक्ष सह खातेदार होने से अपूरणीय क्षति का मामला भी दोनो के पक्ष में है।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी सं0 1 का काउन्टर टी.आई. न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व काउन्टर टी.आई. स्वीकार किया जाता है उभय पक्ष को ता दावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल) 11.9.19
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नवलगढ़

Scanned by CamScanner